मध्यान्ह भोजन

आयोग का गठन, उद्देश्य और कार्यप्रणाली

1 **आयोग का गठन**राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013की धारा 16 के अंतर्गत राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण, मानीटर करने और उसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजन से राज्य खाद्य आयोग के गठन का प्रावधान है। मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-7-35-2013-उन्तीस-1, दिनांक 11 11 अप्रैल, 2017 द्वारा मध्यप्रदेश खाद्य आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 (2013 का (2013 का 20) की धारा 40 की उपधारा (1) तथा (2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्य प्रदेश शासन ने अधिसूचना क्रमांक एफ 7-12/2016/उन्तीस-1, दिनांक 17मई, 2017 द्वारा ''मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2017 '' जारी किये हैं। इस नियम के खण्ड 2 (च) में ''मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग'' को परिभाषित किया गया है।

2 **आयोगके गठन काउद्देश्य**

राज्य खाद्य आयोग को प्रदेश में संचालित चार मुख्य योजनाओं के मूल्यांकन में समीक्षा का दायित्व सौंपा गया है, यथा-यथा-

1. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली,
2. पूरक पोषण आहार कार्यक्रम,
3. प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्यान्ह भोजन) एवं
4. प्रधानमंत्रीमातृत्व कल्याण योजना(प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना), के मूल्यांकन एवं समीक्षा का दायित्व सौंपा गया है।

आयोग इन योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित जन सामान्य से प्राप्त शिकायतों और स्व-प्रेरणा से भी शिकायत की जांच कर सकता है। इन योजनाओं को और सुगम व प्रभावी रूप से संचालित करना एवं स्थानीय निकायों को सलाह देना भी आयोग के कार्यक्षेत्र में शामिल है। योजनाओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निराकरण करने के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर को जिला शिकायत निवारण अधिकारी घोषित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति या हितग्राही जिला शिकायत निवारण प्राधिकारी के आदेश से व्यथित होता है, तो वह आयोग को अपील कर सकता है।

ज्ञातव्य हो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013की धारा 3,4,5,6 के अंतर्गत हितग्राहियों को खाद्य सुरक्षा के लिये निम्नानुसार अधिकार दिये गये हैं :-

i. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र परिवारों के व्यक्तियों द्वारा सहायता प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार,
ii. गर्भवती स्त्रियों, स्तनपान कराने वाली माताओं एवं 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों तथा कुपोषित बच्चों को पोषाहार सहायता,
iii. 14 वर्ष से कम उम्र के विद्यालय जाने वाले बालकों एवं बालिकाओं को पोषणीय सहायता – मध्यान्ह भोजन,
iv. गर्भवती स्त्री को मातृत्व कल्याण योजना (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विहित प्रसूति लाभ के रुप में रुपये 6000/- दिये जाने का प्रावधान।

उक्त योजनाओं से बच्चों एवं महिलाओं को निम्नानुसार लाभान्वित किया जा रहा है :-

3 **कार्यप्रणाली**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 16 (6) के अंतर्गत राज्य खाद्य आयोग के निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करता है -

(क) राज्य के संबंध में, इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर/निगरानी करना और उसका मूल्यांकन करना,

(ख) अध्याय 2 के अधीन उपबंधित हकदारियों के उल्लंघनों की, स्व–प्रेरणा से या शिकायत के प्राप्त होने पर जांच करना,

(ग) इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये राज्य सरकार को सलाह देना,

(घ) व्यक्तियों को इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट उनकी हकदारियों तक पूर्ण पहुंच बनाने के लिये समर्थ बनाने के संबंध संबंध में खाद्य और पोषण संबंधी स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये राज्य सरकार, सुसंगत सेवाओं के परिदान में अंतर्वलित उसके अभिकरणों, स्वायत्त निकायों और गैर सरकारी संगठनों को से परामर्श करना व सलाह देना,

(ङ•) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना,

(च) वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, जो राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान–मण्डल के समक्ष रखी जायेगी।

(छ) इस संबंध में आवश्यक जानकारी एकत्र कर प्रसारित करना।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्यान्ह भोजन) कार्यक्रम

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं सक्षरता विभाग के निर्देशानुसार मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2004 से परिवर्तित मध्यान्ह भोजन व्यवस्था के तहत दोपहर में पका हुआ गर्म एवं रुचिकर भोजन निर्धारित मेन्यू (भोजन सूची) अनुसार प्रदाय किया जा रहा है। वर्ष 2020 से मध्यान्ह भोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधीन है।

प्रदेश में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रशासकीय एवं नोडल विभाग है। म.प्र. मध्यान्ह मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद कार्यक्रम का पर्यवेक्षण, नियंत्रण व अनुश्रवण करती है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त संसाधानों से किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित कर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण किया गया है।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसमें शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाएं, शासन से अनुदान प्राप्त शालाएं एवं मदरसों मं अध्ययनरत विद्यार्थियों को दोपहर में गर्म पका हुआ रुचिकर भोजन प्रदाय किया जाता है।

बच्चों को ताजी सब्जियों उपलब्ध कराए जाने हेतु 'माँ की बगिया' (स्कूल न्यूट्रीशन गार्डन) शत-प्रतिशत बनाए जाने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हर्टिकल्चर डिपार्टमेंट एवं मनरेगा के साथ अभिसरण से किये जाने के निर्देश हैं।

क्र.	शाला का स्तर	खाद्यान्न की मात्रा प्रति छात्र	उर्जा)किलोकेलोरी में)	भोजन पकाने की लागत राशि प्रति दिवस राशि) (में रुपये		कुल रुपये 01.10.2022) सेलागू(
				केन्द्रांश	राज्यांश	
	प्राथमिक	ग्राम 100	450	3.27	2.18	5.45
	माध्यमिक	ग्राम 150	700	4.90	3.27	8.17

भारत सरकार के परिपत्र क्रमांक F. No.1-3/2021-Desk(MDM)-Part.2, dated 27 November, 2024अनुसार भोजन पकाने की सामग्री लागत में दिनांक 01.12.2024 से निम्नानुसार वृद्धि की गयी है :-

क्र.	शाला का स्तर	खाद्यान्न की मात्रा प्रति छात्र	उर्जा)किलोकेलोरी में(	भोजन पकाने की लागत राशि प्रति दिवस राशि) (में रुपये		कुल रुपये 01.1)2202.4 सेलागू(
				केन्द्रांश	राज्यांश	
	प्राथमिक	ग्राम 100	450	3.71	2.48	6.19
	माध्यमिक	ग्राम 150	700	5.57	3.72	9.29